कार्यालय कलेक्टर (खाद्य), ज़िला–खरगोन म.प्र.

(कार्यालय टेलीफोन नंबर–07282–232885 / E-mail ID : foodoffkhr@mp.nic.in)

// विज्ञप्ति //

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण भोपाल के पत्र कमांक 1027/प्र.स.खाद्य/2021/29–1 भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 में दिये निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खरगोन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की निम्नानुसार 34 दुकानविहीन ग्रामपंचायतों में नवीन उचित मूल्य दुकानें खोली जाने हेतु **आठवे चरण** हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र करने हेतु पेपर विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जा रहा है। इस हेतु आन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किय जाते हैं :–

क.	अनुविभाग का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जिनमें उ.मू.दुकान खोली जाना है।
1	खरगोन	खरगोन	सोनीपुरा, सांईखेड़ा, आसनगांव, मागरूल बुजुर्ग(कुल–04)
		सेगावां	सतावड़, गाटलाखेड़ी, जोगवाड़ा,, महूगांव, आछलवाड़ी, (कुल–05)
		गोगावां	हिरापुर, देवलगांव, (कुल–02)
2	भीकनगांव	भीकनगांव	बड़ियासहेजला, नुरियाखेड़ी, जामन्या बुजुर्ग, (कुल–03)
		झिरन्या	बेड़छा, (कुल–01)
3–	मण्डलेश्वर	महेश्वर	मोहद, बंजारी, सिटोका, (कुल–03)
4–	बड़वाह	बड़वाह	बिंजलवाड़ा, दाभड़, डाल्याखेड़ी,, फनगांव, जुलवानिया, राहड़कोट, टेमला, टोकलाय, भोमवाड़ा, बेडीया, (कुल–10)
5	कसरावद	कसरावद	काटकूट, सोनखेडी, हीरापुर, कोण्डापुरा, बामन्दा (कुल–06)

उपरोक्तानुसार विस्तृत जानकारी वेबसाईट WWW.rationmitra.nic.in पर उपलब्ध है, जिस पर आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन की जाना है। मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015की कंडिका 8(1) सहपठित अनुसूची "दो" में संशोधन दिनांक 11 अप्रेल, 2016 (परिशिष्ट "दो") के अनुसार उचित मूल्य की दुकान आबंटन हेतु निम्नांकित संस्थाएं/समूह/समिति पात्र है :–

क– मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्गीकृत (1) उपभोक्ता सोसायटी (2) विपणन सोसायटी (3) उत्पादक सोसायटी (4) संसाधन सोसायटी (5) बहुप्रयोजन सोसायटी। ख– महिला स्व–सहायता समूह। ग– संयुक्त वन प्रबंधन समिति।

अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी,(रा.) के कार्यालय में सम्पर्क करें। पूर्व में जारी विज्ञप्ति कमांक 2319/खाद्य–2/2022 दिनांक 02/12/2022 में नियत अवधि 25/12/2022 तक सभी रिक्त स्थानों पर आवेदन प्राप्त ना होने के कारण नियत अवधि में वृद्धि की जाकर इच्छुक पात्र समितियां/ समूह ऑनलाईन **आवेदन दिनांक** 15/02/2023 तक दर्ज कर सकते हैं।

27-1-23

जिला आपूर्ति अधिकारी,
जिला–खरगोन (म.प्र.)

निरंतर–2–

पृ.क्रमांक/ 176 /खाद्य–1/स्था./2023 • खरगोन,दिनांक 27/01/2023

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला–खरगोन ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला –खरगोन ।
4. अनुविभागीय अधिकारी(रा0)समस्त ....जिला खरगोनकी संलग्न निर्देश पत्रानुसार आवश्यक कार्यवाही करने एवं सुचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
5. उपायुक्त सहकारिता,खरगोन।
6. सहायक संचालक जिला जनसंपर्क कार्यालय खरगोन की ओर एक स्थानीय समाचार पत्र मे प्रकाशन हेतु।
7. प्रबंधक संचालक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या खरगोन।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत(समस्त)..........................जिला खरगोन की ओर सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
9. तहसीदार (समस्त)..........................जिला खरगोन की सुचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
10. सहायक/कनिष्ठ आपुर्ति अधिकारी (समस्त)..........................जिला खरगोन।
11. सचिव ग्राम पंचायत (समस्त).......................... जिला खरगोन की ओर सुचनार्थ तथा सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।

27.1.23

जिला आपूर्ति अधिकारी,
जिला–खरगोन (म.प्र.)